पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 76/2026

1. फुसाराम पुत्र कनीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास तहसील ऐलानाबाद जिला सिरसा।
2. जीयाराम पुत्र कनीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. बलराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास त0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. मुखराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास त0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम

1. रोशनी देवी पुत्री कनीराम जाति कुम्हार निवासी भगवानसर त0 सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरस्वती देवी पुत्री कनीराम जाति कुम्हार निवासी भगवानसर त0 सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न0 10 आर. डबल्यू.डी के खाता स० 124/106 में दर्ज 1.4800 हे. व चक न0 13 आर. डबल्यू.डी के खाता सं0 105/ 89 में दर्ज 0.2530 हे. व चक न० केहरवाला बारानी के खाता स० 117/100 में दर्ज 4.1110 हे. वाद भूमि के प्रत्येक चक में वादीगण – स. 1 व 2 को 1/3 हिस्सा बहि. ब व वादी स. 3 को 1/3 हिस्सा व वादी स. 4 को 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार उपरोक्त वाद भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावें। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद और यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 76/2026

1. फुसाराम पुत्र कनीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास तहसील ऐलानाबाद जिला सिरसा।
2. जीयाराम पुत्र कनीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. बलराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास त0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. मुखराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी काशीराम का बास त0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम्

1. रोशनी देवी पुत्री कनीराम जाति कुम्हार निवासी भगवानसर त0 सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरस्वती देवी पुत्री कनीराम जाति कुम्हार निवासी भगवानसर त0 सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 88.

उपस्थिति :—श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी

श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 8/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादीयागण वादी स. 1 व 2 की बहनें है व वादी स. 3 व 4 की बहनें है जिनके नाम आराजी चक न0 10 आर. डबल्यू. डी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 124/106 में दर्ज 1.4800 हे. आराजी ब.हि.ब व चक न0 13 आर. डबल्यू. डी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 105 ६ 89 में दर्ज 0.2530 हे. आराजी ब. हि.ब व चक न० केहरवाला बारानी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 117/100 में दर्ज 4.1110 हे. आराजी ब. हि. ब भूमिं दर्ज कागजात माल है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादीयागण को विरास्तन जरीये वसीयत प्राप्त हुई है प्रतिवादीयागण परिवार के द्वारा विवाह, भात, छुछक आदि में दिये गये दान व दहेज से खुश हो कर उक्त आराजी में वादीगण स. 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब. हि.ब व वादी स. 3 को 1/3 हिस्सा व वादी स. 4 को 1/3 हिस्सा अनुसार अपने हक का त्याग अरसादराज से कर रखा है। पक्षकारान स्व. रतीराम के वंशज है हक त्याग के बाद वादीगण उपरोक्तानुसार अपनें हिस्से पर काबिज हो कर काश्त कर रहे है प्रतिवीयागण का अब कोई हक उक्त आराजी में शेष नंही रहा है। पक्षकारान उपरोक्तानुसार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहें है व इसी तरह रकमराज आबियाना आदि जमां खजानाराज करवाते है मगर उक्त आराजी अभी तक उपरोक्तानुसार पक्षकारान के नाम दर्ज नही है इस प्रकार विवादीत आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहनें सें वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। अत वादीगण यह घोषणात्मक डिकी पाने के दावेदार है कि प्रतिवादीयागण के नाम दर्ज आराजी चक न0 10 आर. डबल्यू. डी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 124/106 में दर्ज 1.4800 हे. व चक न0 13 आर.डबल्यू. डी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 105/89 में दर्ज 0.2530 हे. व चक न० केहरवाला बारानी जमाबंदी सम्वत 2075 सें 78 खाता स० 117/100 में दर्ज 4.1110 हे. में वादीगण स. 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब. हि. ब व वादी स. 3 को 1/ 3 हिस्सा व वादी स. 4 को 1/ 3 हिस्सा आराजी के खातेदार काश्तकार है। वादीगण नें प्रतिवादीगण सें कई बार निवेदन किया कि वह इस आराजी में वादीगण का हक मानकर उसके नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवें मगर वह टालमटोल करते रहे व कल